न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

फर्द अहकाम

बउनवानीः—सरकार जरिये तहसीलदार बौंली

बनाम

रतना पुत्र मंगल्या(मृतक) धापू बेवा रतना वगै. तहसील बौंली

रैफरेन्स संख्याः—8 / 2014 **GCMS No-2017/00180**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
3.7.2024	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार राजस्व एवं वकील अप्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि उनवानी रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एलआरएक्ट के तहत तहसीलदार बौंली द्वारा 26.9.2005 को न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि वाके ग्राम नीमोद के खाता संख्या 174 पर ख0न0 125 रकबा 11 बिस्वा गै0मु0तलाई की भूमि का रेगूलाईज होकर नामा0 संख्या 307 दिनांक 20.10.1977 से रतना पुत्र मंगल्या गुर्जर निवासी नीमोद तह0 बौंली को गैर खातेदारी प्राप्त हुई है तथा नामा0 संख्या 546 दिनांक 2.6.1986 से खातेदारी प्राप्त हुई है। जिसको निरस्त कर उक्त भूमि को गै0मु0 तलाई करने बाबत लिखा गया था। उक्त आवंटन भू.राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी नियम की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील,तलाई,नदी, नाले,उपनदी, इत्यादि जलाशयो की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्द्भूत नही होने के कारण डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536 / 03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 के बिन्दु संख्या 4 की पालना में उक्त नियम विरूद्व आवंटन से पटवार कागजात में हुए परिवर्तन के कारण यह रैफरेन्स पेश किया गया है। उक्त रैफ. इस न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 22.11.2006 को माननीय राजस्व मण्डल को रैफर किया गया था किन्तु माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.12.2023 द्वारा उक्त रैफरेन्स को अपूर्ण मानते हुए अस्वीकार किया जाकर प्रकरण न्यायालय हाजा को इस निर्देश के साथ लौटा कर निर्देश दिये गये है कि राजस्व मण्डल द्वारा व्यक्त मतानुसार प्रकरण का पुनः परीक्षण करावे और वर्तमान जमाबन्दी के अंकन मूलतः जिस आदेश से सृजित हुए है उक्त आदेश की वैधानिकता का परीक्षण कर नये सिरे से रैफरेन्स पेश करने को स्वतंत्र है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार उक्त राजस्व अंकनो का आधार आवंटन / नियमन आदेश है तथा उक्त आवंटन / नियमन की मूल मिसल जिला अभिलेखागार एवं तहसील कार्यालय मे उपलब्ध नही होने की संबंधितों से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। उक्त प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल के निर्णयानुसार पालना करने हेतु मूल आवंटन / नियमन मिसल तलब की गयी किन्तु मूल आवंटन मिसल उपलब्ध नही होने के कारण उक्तानुसार वर्णित आवंटन आदेश की वैधानिकता का परीक्षण किया जाना सम्भव नही है। अतः प्रकरण तहसीलदार बौंली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि सम्वत् 2004 से 2034 तक की जमाबन्दी एवं अन्य पुराना रिकार्ड जिसमे उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 तलाई दर्ज हो, को रिकार्ड पर लिया जावे, यदि सम्वत्,2004 (15.8.1947) को उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 तलाई दर्ज थी एवं जिस आवंटन / नियमन आदेश से यह भूमि [illegible] के पूर्वज रतना के नाम दर्ज रिकार्ड हुई है उक्त आदेश को रि[illegible]या जावे। यदि प्रकरण रैफरेन्स योग्य बनता हो तो पुनः रैफरेन्स तैयार [illegible] करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से [illegible] दाखिल अभिलेख की जावे। Signature Not Verified Digitally signed by Khushaal Yadav Date: 2024.09.24 13:17:10 IST Reason: SelfAttested (डॉ0खुशाल यादव) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner